tion of Tribals and the steps taken to ensure its proper utilisation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI JAGANATH RAO): (a) and (b). The information is being collected from the Government of Tripura and will be laid on the Table of the House as soon as available.

**केरल में मध्यावधि चुनाव में पररूपधारण के मामले**

4717. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1970 में केरल में हुये मध्यावधि चुनाव में पररूपधारण के अभियोग में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है ?

**विधि तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : इस संबंध में जानकारी मुख्य निर्वाचन आफिसर, केरल से मंगाई जा रही है ।

**फीरोजपुर मंडल (उत्तर रेलवे) में मुख्य पार्सल लिपिकों के पद के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थी**

4718. **श्री प० ला० बारुपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के फीरोजपुर मंडल में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको 1967 से 1970 तक की अवधि में तदर्थ आधार पर अथवा चयन द्वारा 250—380 रुपये (ए० एस०) के ग्रेड में मुख्य पार्सल लिपिकों के पदों पर पदोन्नत किया गया तथा उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के हैं ;

(ख) वर्ष 1969 में उक्त मंडल द्वारा उस लिखित परीक्षा के आधार पर मुख्य पार्सल लिपिकों के ग्रेड के लिये किये गये चयन को रद्द करने के क्या आधार हैं जिसमें अनुसूचित जातियों के चार कर्मचारी भी थे ; और

(ग) क्या यह सच है कि 1970 में किये गये चयन के आधार पर जिन आठ कर्मचारियों को ये पद दिये गये थे उनमें से कोई भी कर्मचारी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति का नहीं है ?

**रेलवे मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में सुपरवाइजर स्पेशल टिकट एक्जामिनर के पद पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति**

4719. **श्री प० ला० बारुपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में सुपरवाइजर स्पेशल टिकट एक्जामिनर के 250—380 रुपये के ग्रेड के पदों पर वर्ष 1967 से 1970 तक के दौरान कितने कर्मचारियों की पदोन्नति तदर्थ आधार पर अथवा चयन के आधार पर की गई तथा उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ; और

(ख) दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के रेलवे बोर्ड परिपत्र संख्या ई (एस० सी० टी०) 68 सी० एम० 1/13 के पैरा दो (तदर्थ पदोन्नति के लिये) को किस प्रकार लागू किया गया तथा क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की इस परिपत्र के बहाने उपेक्षा नहीं की जा रही है ?